LOK SABHA DEBATES

(Original Version)

Sixth Session (Seventeenth Lok Sabha)



(Vol. XIII contains Nos. 11 to 17)

LOK SABHA SECRETARIAT NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh

Secretary-General Lok Sabha

Suman Arora

Joint Secretary

Suman Rattan

Director

Narad Prasad Kimothi

Joint Director

Sunita Thapliyal

Editor

© 2021 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

CONTENTS

Seventeenth Series, Vol. XIII, Sixth Session, 2021/1943 (Saka) No. 14, Friday, August 06, 2021/ Sravana 15, 1943 (Saka)

SUBJECT	<u>PAGES</u>			
REFERENCE BY THE SPEAKER 76 th anniversary of the dropping of atom bombs on Hiroshima and Nagasaki cities of Japan	10			
FELICITATION BY THE SPEAKER				
Congratulations to Shri Ravi Kumar Dahiya for winning				
Silver Medal in Wrestling at Tokyo Olympics	11			
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS *Starred Question Nos. 261 to 266 and 279	12-25			
WDITTEN ANOWEDS TO SUESTIONS				
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS				
Starred Question Nos. 267 to 278 and 280	66-141			
Unstarred Question Nos. 2991 to 3220	142-793			

_

^{*} The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE	796-810
MESSAGES FROM RAJYA SABHA	811-812
LEAVE OF ABSENCE FROM SITTINGS OF THE HOUSE	813-814
STANDING COMMITTEE ON PETROLEUM AND NATURAL GAS 7 th and 8 th Reports	815
STANDING COMMITTEE ON URBAN DEVELOPMENT 8 th and 9 th Reports	816
STANDING COMMITTEE ON COAL AND STEEL	
21 st to 26 th Reports	817-818
STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT 23 rd to 25 th Reports	818-819
STANDING COMMITTEE ON EDUCATION, WOMEN, CHILDREN, YOUTH AND SPORTS 327 th to 330 th Reports	819-820
STATEMENT CORRECTING REPLY TO UNSTARRED QUESTION NO. 1398 DATED 28.07.2021 REGARDING CARBON EMISSION IN MINING OPERATION	
Shri Pralhad Joshi	821-826

STATEMENTS BY MINISTERS

827-831

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 120th and 122nd Reports of the Standing Committee on Health and Family Welfare on Demands for Grants (2020-2021) (Demand No. 4) pertaining to the Ministry of Ayush

Shri Sarbananda Sonowal

827

- (ii)(a) Status of implementation of the recommendations contained in the 1st Report of the Standing Committee on Defence on Demands for Grants of the Ministry of Defence for the year 2019-20 on 'General Defence Budget, BRO, ICG, MES, DGDE, DPSUs, CSD, Welfare of Ex-servicemen, ECHS, Defence Pensions and Sainik Schools (demand nos. 18 & 21)' pertaining to the Ministry of Defence
- (b) Status of implementation of the recommendations contained in the 3rd Report of the Standing Committee on Defence on 21 Demands for Grants of the Ministry of Defence for the year 2019-20 on 'Capital Outlay on Defence Services, Procurement Policy, Defence Planning and Married Accommodation Project (demand no. 20)' pertaining to the Ministry of Defence
- (c) Status of implementation of the recommendations contained in the 7th Report of the Standing Committee on Defence on Demands for Grants of the Ministry of Defence for the year 2020-21 on 'Capital Outlay on Defence Services, Procurement Policy, Defence Planning and Married Accommodation Project (demand no. 20)' pertaining to the Ministry of Defence

(iii)	Status of implementation of the recommendations/ observations contained in the 25 th Report of the Standing Committee on Information Technology on Demands for Grants (2021-2022) pertaining to the Ministry of Information and Broadcasting	
	Dr. L. Murugan	831
BUSI	NESS OF THE HOUSE	832-833
MAT	TERS UNDER RULE 377	834-850
(i)	Need to frame provisions to tackle various objections received after approval of development projects	
	Shri Gopal Shetty	835
(ii)	Need to establish an additional Kendriya Vidyalaya in Sitapur Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh	
	Shri Rajesh Verma	836
(iii)	Need to include people belonging to 'Bhogta' community in the list of Scheduled Tribes	
	Shri Sunil Kumar Singh	837
(iv)	Regarding revamping the scope of CSR policy	
	Sushri Diya Kumari	838
(v)	Regarding rail connectivity in Balurghat Parliamentary Constituency	
	Dr. Sukanta Maiumdar	839

(vi)	Need to utilise vacant houses of Income Tax Department lying in dilapidated condition in Shastrinagar, Meerut	
	Shri Rajendra Agrawal	840
(vii)	Regarding service conditions of causal and daily workers working under Archaeological Survey of India	
	Dr. Sujay Vikhe Patil	841
(viii)	Regarding unhygienic conditions created by Hatcheries in Mahasamund district, Chhattisgarh	
	Shri Chunnilal Sahu	842
(ix)	Need to reopen Bheemapar level crossing in Siddharthnagar district, Uttar Pradesh and also construct an underbridge near the level crossing	
	Shri Jagdambika Pal	843
(x)	Regarding setting up of a solar plant in Kannauj Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh	
	Shri Subrat Pathak	844
(xi)	Need to construct Panipat - Meerut railway line	
	Shri Sanjay Bhatia	845

(xii)	i) Need to protect the interests of tribal people evicted from their natural dwellings in Dausa Parliamentary Constituency, Rajasthan			
	Shrimati Jaskaur Meena	846		
(xiii)	Need to ensure safety of people of North East States in Delhi			
	Shrimati Queen Oja	847		
(xiv)	Need to set up a washing line and solar energy panel at railway station in Hanumangarh, Rajasthan			
	Shri Nihal Chand Chouhan	848		
(xv)	Need to start construction of Medical College at Bhawanipatna in Kalahandi district, Odisha			
	Shri Basanta Kumar Panda	849		
(xvi)	Regarding issue of human animal conflict in Idukki Parliamentary Constituency			
	Adv. Dean Kuriakose	850		
TAXA	ATION LAWS (AMENDMENT) BILL, 2021	851-855		
	Motion to Consider	851-854		
	Shrimati Nirmala Sitharaman	851-855		
	Clauses 2,3 and 1	854		
	Motion to Pass	855		

CENTRAL UNIVERSITIES (AMENDMENT) BILL, 2021		
Motion to Consider	856-858	
Shri Dharmendra Pradhan	856-857	
Clauses 2 to 4 and 1	859	
Motion to Pass	859	

*ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions

Member-wise Index to Unstarred Questions

*ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions

Ministry-wise Index to Unstarred Questions

-

^{*} Available in Master copy of Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

П	Ok	S	ΔR	НΔ	DEE	ΔT	FS
_	. •		~~			,	$ \circ$

LOK SABHA

Friday, August 06, 2021/Sravana 15, 1943 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[HON. SPEAKER in the Chair]

REFERENCE BY THE SPEAKER

76th anniversary of the dropping of atom bombs on Hiroshima and Nagasaki cities of Japan

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आज जापान के नगर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराये जाने की घटना के 76 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को क्रमशः हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराये गए थे, जिसके कारण दोनों शहरों में हजारों लोग मारे गये थे तथा लाखों लोग घायल और जीवन भर के लिए अपंग हो गए थे। इस घटना ने पहली बार विश्व को परमाणु बम की विनाशकारी ताकत से परिचय कराया था। आज भी हिरोशिमा और नागासाकी के निवासी उन हमलों में हुए परमाणु विकिरण के दुष्प्रभावों को झेल रहे हैं।

आइए आज के दिन हम नरसंहार के हथियारों को नष्ट करने तथा विश्व में शांति और भाईचारे के प्रचार – प्रसार हेतु एक साथ मिलकर काम करने के अपने संकल्प को सुदृढ़ करें।

11.02 hrs

FELICITATION BY THE SPEAKER

Congratulations to Shri Ravi Kumar Dahiya for winning Silver Medal in Wrestling at Tokyo Olympics

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे आपको सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि श्री रिव कुमार दिहया ने ओलिम्पक खेलों में 57 किलोग्राम कुश्ती में भारत के लिए रजत पदक जीता है। इन खेलों में भारत का पांचवां पदक है। 23 वर्षीय रिव कुमार दिहया ने यह उपलब्धि अपने पहले ही ओलिम्पक खेलों में हासिल की है। मैं अपनी ओर से तथा सदन की ओर से श्री रिव कुमार दिहया को इस ऐतिहासिक सफलता के लिए बधाई देता हूं। मेरी आशा है कि उनकी इस उपलब्धि से देश के सभी युवाओं को अपने कार्य में उत्कृष्टता प्राप्त करने की प्रेरणा मिलेगी।

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 261, श्री सुनील कुमार सिंह।

... (व्यवधान)

11.03 hrs

At this stage Shri B. Manickam Tagore, Sushri Mahua Moitra, Adv. A. M. Ariff and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

...(<u>व्यवधान</u>)

(Q. 261)

श्री सुनील कुमार सिंह: माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2015-16 तक कुल संस्थागत प्रसव में हॉस्पिटलों की हिस्सेदारी 80 प्रतिशत से कम थी लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में वर्ष 2019-20 तक लगभग 95 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। सरकार इस लक्ष्य को 100 परसेंट करने के लिए प्रयास कर रही है। ... (व्यवधान) इसके लिए उन्होंने अनेक योजनाएं चलाई हैं, जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, जननी सुरक्षा कार्यक्रम, जननी सुरक्षा योजना सहित अनेकों कार्यक्रम चलाए हैं। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय स्वास्थ मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। ... (व्यवधान)

इसके साथ ही जो मैंने प्रश्न पूछा है, उसके विस्तृत जवाब के लिए मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। ... (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि झारखंड में प्रधानमंत्री सुरिक्षत मातृत्व अभियान के तहत सुविधा केन्द्रों की संख्या मात्र 253 है। मेरे संसदीय क्षेत्र चतरा में 6, लातेहार में 7 और पलामू में मात्र 10 सुविधा केन्द्र हैं। ... (व्यवधान) झारखंड की स्थिति अत्यंत खराब इस दृष्टि से भी है कि वहां पिछले दो-ढ़ाई सालों में प्रधानमंत्री सुरिक्षत मातृत्व अभियान के तहत नये प्रसित केन्द्रों की स्थापना नहीं हुई।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मेरे संसदीय क्षेत्र के चतरा, लातेहार और पलामू जिले के प्रत्येक प्रखंड में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत कम से कम एक केंद्र खोलने की कोई योजना है? ... (व्यवधान)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री मनसुख मांडविया): माननीय अध्यक्ष जी, स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए पूछे गए प्रश्नों का रिप्लाई एमओएस डॉ. भारती पवार दे रही हैं।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, डॉ. भारती पवार एक आदिवासी समाज से आती हैं। ... (व्यवधान) आदिवासी महिला हैं। उन्होंने एमबीबीएस तक पढ़ाई की है। ... (व्यवधान) कांस्टीट्युशन ने महिलाओं को पार्लियामेंट तक पहुंचाया है। माननीय मोदी जी ने उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया है और आज वह पहली बार स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रिप्लाई करने के लिए खड़ी हुई हैं। ... (व्यवधान) लेकिन आज विपक्ष द्वारा एक आदिवासी महिला, जो देश और संसद में माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रश्नों का रिप्लाई देना चाहती हैं, लेकिन उन्हें विपक्ष के लोग सुनना नहीं चाहते हैं। ... (व्यवधान) एक महिला का, आदिवासी महिला का अपमान हो रहा है। ... (व्यवधान)

मेरी आपसे प्रार्थना है कि विपक्ष को कहें, ... (व्यवधान) मेरी विपक्ष से प्रार्थना है कि एक आदिवासी महिला को सुनें। ... (व्यवधान) एक पढ़ी लिखी आदिवासी महिला का रिप्लाई कृपया करके सुनें। ... (व्यवधान)

डॉ. भारती प्रवीण पवार: माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं इस सदन में महिला मंत्री होने के नाते और एक डॉक्टर होने के नाते कहना चाहती हूं कि हमारे देश की महिलाएं और बच्चे सुरक्षित रहें, इस प्रयास के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है, शायद उसे सुनने की भावना विपक्ष में नहीं है।... (व्यवधान) उनमें हिम्मत भी नहीं है कि हमारी तरफ की सुनें।... (व्यवधान) महिलाएं सुरिक्षत रहे, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी मातृत्व योजना को अनेक योजनाओं के साथ इतने बड़े पैमाने पर लाए हैं।... (व्यवधान) मुझे लगता है, जैसे माननीय मंत्री मनसुख भाई जी ने कहा, उन्हें यह भी सुनना पड़ेगा।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, आज जो सवाल माननीय सदस्य ने पूछा है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट वर्ष 2014-15 से पहले 122 था यानी 122 महिलाओं की मृत्यु प्रति एक लाख लाइव्स पर होती थी, आज

वह कम होकर, डिक्लाइन होकर 113 हो गई है। यह एक बड़ी पहल है। ... (व्यवधान) हमारी मातृत्व शक्ति सुरक्षित रहे, हमारे बच्चे सुरक्षित रहें।... (व्यवधान)

माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है, पीएसएमए, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में जो योजना बनाई गई है, जिसमें हर महीने की 9 तारीख को मातृत्व का आइडेंटिफिकेशन हो, ट्रैकिंग हो, हाई रिस्क प्रेगनेंसी को देखने की सुविधा मिले। ... (व्यवधान) झारखंड के लिए सुविधा मिली है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट डिक्लाइन होकर 165 से 71 हुआ है। ... (व्यवधान) हमारी सरकार मातृत्व के लिए कटिबद्ध है, मातृत्व सुरक्षित है।... (व्यवधान)

आज मैं वही दोहराना चाहूंगी कि देश की किसी भी शक्ति के लिए, मातृत्व के लिए हमें कोई नहीं रोकेगा, मैं यहां बड़े दुख के साथ कह रही हूं कि यह भी सुनने की हिम्मत विपक्ष में नहीं है।... (व्यवधान) मातृत्व योजना के साथ खड़े रहिए।... (व्यवधान) हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें।... (व्यवधान) झारखंड के लिए सरकार कटिबद्ध है। माननीय सदस्य ने पूछा है, हम चतरा, लातेहार और पलामू में जरूर केंद्र बढ़ाएंगे और वहां की राज्य सरकार से भी बात करेंगे। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, क्या आप दूसरा सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकर।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: क्वैश्वन नम्बर 262 और 279 क्लब किया जाता है।

श्री जयदेव गल्ला जी।

... (<u>व्यवधान</u>)

(Q. 262 and 279)

श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल: बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि देश में और विशेष रूप से हिमालयन क्षेत्र में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे नैचुरल डिजॉस्टर हो रहे हैं। इसके लिए जो कारण हैं, क्या मंत्रालय द्वारा उनके बारे में लोगों को अवेयर करने की कोशिश की गई है? ... (व्यवधान) इसके साथ-साथ रिसेंटली लद्वाख पॉर्लियामेंटरी कांस्टिट्यूएंसी में ज्यादातर कारगिल के अलग-अलग क्षेत्रों में और लेह के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ के कारण कितना नुकसान हुआ है? ... (व्यवधान) जिन लोगों के घर बह गए हैं, खेती में नुकसान हुआ है और माल-मवेशी बह गए हैं, उनको लेकर केंद्र सरकार की ओर से और विशेष रूप से मिनिस्ट्री ऑफ एनवॉयरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लामेट चेंज की ओर से कौन-सी योजनाएं चल रही हैं और कौन-से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, यह मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से जानना चाहता हूं। ... (व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र यादव: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। ... (व्यवधान) यह महत्वपूर्ण प्रश्न क्लाइमेट चेंज के संबंध में है। आज के समय में जो क्लाइमेंट चेंज का विषय है, निश्चित रूप से वह प्रकृति और पर्यावरण के संतुलन के लिए आवश्यक है। हम यह मानते हैं कि क्लामेंट चेंज सामाजिक-आर्थिक और जो बॉयो डायवर्सिटी है, उसके ऊपर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। आपने अपना प्रश्न विशेष रूप से हिमालय के संबंध में पूछा है। ... (व्यवधान) सरकार द्वारा हिमालय क्षेत्र में नेचर लर्निंग सैंटर्स की व्यवस्था की जा रही है।

दूसरा, हिमालय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए G.B. Pant National Institute of Himalayan Environment द्वारा Integrated Ecodevelopment Research Programme सरकार द्वारा किया जाता है। ... (व्यवधान) उसके अतिरिक्त हिमालयन क्षेत्र के लिए भारत सरकार

द्वारा Environment education awareness and training का प्रोग्राम चलाया जाता है। इसके अलावा मिनिस्ट्री द्वारा नियमित रूप से जितने भी जलवायु परितर्वन के विषय हैं, उनके अध्ययन के लिए Environmental Information System Scheme बनाई जाती है। भारत में The National Museum of Natural History और उसके जो रीजनल सैंटर्स हैं, उनके द्वारा क्लाइमेट चेंज के ऐस्पेक्ट का अध्ययन किया जाता है। ... (व्यवधान) Under the National Mission for Sustaining Himalayan Ecosystem द्वारा हिमालयन क्षेत्र के जो 12 राज्य हैं, वहां भी विशेष अध्ययन और विशेष संरक्षण के लिए कार्य किये जा रहे हैं। ... (व्यवधान)

श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल: अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरे सप्लीमेंट्री प्रश्न में जानना चाहूंगा कि नेचर लर्निंग सैंटर्स और G.B. Pant National Institute of Himalayan Environment जैसे अच्छे इंस्टिट्यूट्स के माध्यम से लद्दाख और खासकर जो हिलालय के टॉप पर रहते हैं और वहां के वातारण में जो बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं, ऐसे में लोगों को, गांव कहां बसना चाहिए, घर कहां बनना चाहिए या कहां नहीं बनना चाहिए, इन चीजों के बारे में इन इंस्टिट्यूट्स द्वारा कितने अवेयरनेस कैंपेन किए गए? ... (व्यवधान) इसके लिए आगे कौन-सी पॉलिसी बनाने की योजना है, यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री भूपेन्द्र यादव: अध्यक्ष महोदय, लद्दाख भारत में पर्यावरण की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख का जो फ्लोरा और फौना है और लद्दाख में जिस प्रकार से पर्यावरण संतुलन का विषय है, उसको लेकर सरकार पूरी तरह से सजग है। ... (व्यवधान)

माननीय सदस्य, इस बात पर पूरी तरह से चिंता व्यक्त कर रहे हैं। वे लद्दाख की वाइल्ड लाइफ कमेटी के मेम्बर हैं। अभी 24 जुलाई को उस कमेटी की मीटिंग हुई है और उसको उन्होंने अटेंड भी किया है। उसमें सारे संरक्षणीय विषयों का और लद्दाख के फ्लोरा और फौना जैसे विषयों का

पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। ... (व्यवधान) हिमालयन साइंस इंस्टिट्यूट द्वारा विशेष रूप से लद्दाख को लेकर जो योजना है, उसके अवेयरनेस प्रोग्राम की जानकारी हम स्टेट एडिमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से लोगों को दे रहे हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री जयदेव गल्ला जी – उपस्थित नहीं।

... (व्यवधान)

SHRIMATI SUMALATHA AMBAREESH: Sir, my question is about the impact of illegal mining on our surroundings. Heavy duty explosives and chemicals are used for the blast, and there is rising incidence of respiratory disorders, lung disorders, and other health issues that villages and its surrounding areas are facing.

Also, ground water table, air quality and crops are affected. Livestock are not able to graze because of the accumulation of chemical dust in these areas.(Interruptions)

My question to the Government is whether the Government is taking any measures to prevent illegal mining and protect the environment. Has the Government developed any mechanism to resolve such challenges in our villages?(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्या, यह इससे संबंधित प्रश्न नहीं है। अगर माननीय मंत्री जी जवाब देना चाहें, तो वह जवाब दे सकते हैं। आप माननीय सदस्या को बाद में भी बता सकते हैं।

... (<u>व्यवधान</u>)

श्री भूपेन्द्र यादव: माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने अपने क्षेत्र के बारे में एक जनरल बात पूछी है। ...(व्यवधान) मैं उनको बताना चाहूंगा कि देश में जो एयर पॉल्यूशन है, उसके लिए हमने पूरे देश के 34 राज्यों में 1,114 मॉनीटिरंग स्टेशन्स की व्यवस्था की है। ...(व्यवधान) उनके क्षेत्र के संबंध में एन्वॉयरमेंट के एयर पॉल्यूशन के जो मॉनीटिरंग सैंटर्स हैं, वे उसकी जानकारी मुझसे ले सकती हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या – 263, श्रीमती साजदा अहमद।

... (<u>व्यवधान</u>)

(Q. 263)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : अध्यक्ष महोदय, (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या – 264, श्री ए. के. पी. चिनराज।

... (<u>व्यवधान</u>)

(Q. 264)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री मनसुख मांडविया) : अध्यक्ष महोदय, (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या – 265, श्रीमती भावना गवली (पाटील)।

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : श्री ओम पवन राजेनिंबालकर।

... (<u>व्यवधान</u>)

(Q. 265)

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. (प्रो.) महेन्द्र मुंजपरा) : अध्यक्ष महोदय, (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या – 266, श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी।

... (व्यवधान)

(Q.266)

SHRIMATI SARMISTHA SETHI: Sir, there are over nine lakh children facing severe malnutrition in India. To address this problem, the Odisha Government is taking several measures.(Interruptions) Odisha supports the nutrition agenda through agricultural policies, public distribution system, and others. Odisha has become the first Indian State to draw a nutrition budget in the country. UNICEF as well as NITI Aayog have appreciated the efforts of the Government of Odisha in the direction of addressing malnutrition problem.(Interruptions)

In the 2021-22 Budget, the Union Government merged the Supplementary Nutrition Programme and Poshan Abhiyan. But the Budget Estimate on nutrition has gone down to Rs.2700 crore in 2021-22 from Rs.3700 crore in 2020-21. Budget enhancement is required if you want to sustain the momentum of the Mission.(Interruptions)

Sir, I would like to ask the hon. Minister whether there is any proposal to increase the allocation of budget in terms of nutrition and thereby provide support to States like Odisha, where this programme is running successfully.(Interruptions)

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Sir, through you, I would like to bring to the attention of the hon. Member that the Government of India under the leadership of hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi is committed to ensure that the

nutritional needs of all children, pregnant and lactating women are met.
....(Interruptions)

So far as the expression of the hon. Member about reduction in budget is concerned, on an earlier occasion, I, along with the Minister of State in the Ministry of Women and Child Development have replied in this very august House that given the revised expenditure of our Ministry, we have ensured that not a penny is spent less on the nutritional needs of all States, including the State of Odisha. We are in continuous engagement with the State Government of Odisha to ascertain the infrastructural and nutritional needs of the project.(Interruptions)

SHRIMATI SARMISTHA SETHI: Sir, Mission Poshan basically addresses the problem of Aspirational Districts. What steps are being taken to address this issue in the districts which are not in the category of Aspirational Districts?(Interruptions)

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Sir, I think the anomaly that has been expressed by the hon. Member needs to be corrected. Poshan Abhiyan is an effort of the Government of India across all districts and all States of our country. Before the Modi Government, there had been Governments, which had not given instruments in the anganwadi centres so that a child could be measured or weighed.(Interruptions) I am very happy to express on the floor of this august

House that for the first time in the history of independent India the hon. Prime Minister under the Poshan Abhiyan has ensured that not only the measuring devices are given to anganwadi centres but also every anganwadi centre is covered with smart phone so that data can be automatically generated in terms of both beneficiaries, that need to get enrolled, and the benefits, that are to be approved to them.(Interruptions)

Sir, in the month of March, Poshan Tracker was launched by this very Government and I am happy to say that in just three months we have had every anganwadi in the country now digitally connected with the Government of India so that the needs of the anganwadi centres including challenges are met with solutions.(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: क्वेश्वन नम्बर 267, श्री गौरव गोगोई।

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं आपसे पुन: आग्रह कर रहा हूँ कि आप अपने-अपने आसन पर विराजें। संसद की कार्यवाही चले।

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप अपने-अपने आसन पर विराजें, जिससे सदन में चर्चा हो पाए। प्लीज, आप अपने-अपने आसन पर विराजिये।

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, आप अपने-अपने आसन पर विराजें। मैं आपसे पुन: निवेदन कर रहा हूँ।

... (व्यवधान)

(Q. 267)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री मनसुख मांडविया) : अध्यक्ष महोदय, (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

(Starred Question Nos. 267 to 278 and 280
Unstarred Question Nos. 2991 to 3220)
(Page No. 66 to 793)

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

11.21 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.

^{*} Available in Master copy of Debate, placed in Library.

12.00 hrs

The Lok Sabha reassembled at Twelve of the Clock.

(Shri Rajendra Agrawal in the Chair)

... (<u>व्यवधान</u>)

12.0 ½ hrs

At this stage Sushri Mahua Moitra, Shrimati Harsimrat Kaur Badal, Shrimati Preneet Kaur and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

...(<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमित प्रदान नहीं की है।

... (<u>व्यवधान</u>)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, मुझे एक मिनट दीजिए। सर, बात यह है और मुझे मेरी बात खत्म करने तक का मौका दीजिए। इस वर्षाकालीन सत्र का तीसरा हफ्ता बीतने जा रहा है, फिर भी काम-काज उप्प पड़ा हुआ है। ... (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति जी, इनको वेल में अलाउ कर रहे हैं, इनको अपनी सीट पर तो जाने दीजिए।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपको अपनी सीट पर जाना चाहिए। आपके नेता कुछ बोल रहे हैं।

... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please go back to your seats.

... (Interruptions)

माननीय सभापति : आपके नेता कुछ बात रख रहे हैं।

... (<u>व्यवधान</u>)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, मैं सरकार से यह दरख्वास्त करूंगा कि सरकार विपक्ष से बात करे। ... (व्यवधान)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): First, the Members should go back to their seats. Then, he should speak. ... (Interruptions)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, सरकार कड़ा रुख न अपनाते हुए हम सबसे वार्ता करे। ... (व्यवधान) मैं सरकार को इसके साथ चेतावनी भी देता हूं। सर, 'मन की बात" कहता हूं। मैं एक मिनट या 40 सेकेण्ड में अपनी बात खत्म करूंगा। हम सरकार को यह चेतावनी देते हैं कि ये दबदबा, ये हुकुमत, ये नशा, ये दौलतें, ये किरायेदार हैं, घर बदलते हैं। ... (व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल: अधीर रंजन जी, गलत तथ्य पेश कर रहे हैं।... (व्यवधान) अगर चर्चा करने के लिए तैयार हैं तो एन. के. प्रेमचन्द्रन जी का कोविड मैनेजमेंट लगा हुआ है। वह विपक्ष का ही लगा हुआ है। हम चर्चा के लिए तैयार हैं, हम भाग थोड़े ही रहे हैं।... (व्यवधान)

12.02 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर 2 से 10 तक – श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

... (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, श्री सर्वानन्द सोनोवाल जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

- (1) (एक) भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4574/17/21]

- (3) (एक) केंद्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) केंद्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4575/17/21]

- (5) (एक) अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4576/17/21]

- (7) राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग अधिनियम, 2020 की धारा 56 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग (मेडिकल प्रेक्टिसनर्स की सूची जमा करना) नियम, 2021 जो 1 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 357(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग (लेखाओं का वार्षिक विवरण, वार्षिक प्रतिवेदन तथा अन्य प्रतिवेदनों और विवरणों को जमा करना) नियम, 2021 जो 2 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 145(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 4577/17/21]

(8) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 की धारा 56 के अंतर्गत राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (लेखाओं का वार्षिक विवरण, वार्षिक प्रतिवेदन तथा अन्य प्रतिवेदनों और विवरणों को जमा करना) नियम, 2021 जो 2 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 146(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4578/17/21]

(9) होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 की धारा 33 की उप-धारा (2) के अंतर्गत होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (होम्योपैथी महाविद्यालयों और संलग्न चिकित्सालयों की न्यूनतम मानक आवश्यकता) संशोधन विनियम, 2021 जो 14 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 12-15/2012-सीसीएच(भाग-एक) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4579/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, राव इंद्रजीत सिंह जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हं:-

- (1) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ कारपोरेट अफेयर्स, गुड़गांव के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (2) उपर्युक्त में (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4580/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापित महोदय, डॉ. जितेन्द्र सिंह जी की ओर से, मैं श्री चित्र तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम अधिनियम, 1980 की धारा 33 के अंतर्गत श्री चित्र तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम (संशोधन) नियम, 2021 जो 3 जुलाई, 2021 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 67 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[Placed in Library, See No. LT 4581/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, श्री अश्विनी कुमार चौबे जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

- (1) (एक) भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद, देहरादून के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद, देहरादून के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4582/17/21]

(3) (एक) भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4583/17/21]

- (5) (एक) इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, बैंगलुरु के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, बैंगलुरु के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4584/17/21]

- (7) (एक) भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4585/17/21]

(9) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) जोखिमपूर्ण और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारिक संचलन) संशोधन नियम, 2021, जो 27 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 47(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) जोखिमपूर्ण और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारिक संचलन) संशोधन नियम, 2020, जो 16 अक्तूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 641(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 4586/17/21]

- (10) राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 35 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, वेतन तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) (संशोधन) नियम, 2017, जो 2 नवम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1362(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (वरिष्ठ लेखाकार की भर्ती, वेतन तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2018, जो 27 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 589(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (तीन) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, वेतन तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) (संशोधन) नियम, 2019, जो 26 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1027(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (चार) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (पद्धतियां और प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2017, जो 1

दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1473(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4587/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर और इसकी अनुषंगियों के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर और इसकी अनुषंगियों का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4588/17/21]

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4589/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, डॉ. भागवत कराड जी की ओर से, मैं लोक उद्यम सर्वेक्षण, 2019-2020 (खंड एक और दो) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[Placed in Library, See No. LT 4590/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, डॉ. भारती प्रवीण पवार जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

- (1) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (उत्कल विश्वविद्यालय), भुवनेश्वर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (उत्कल विश्वविद्यालय), भुवनेश्वर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4591/17/21]

- (3) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय), उदयपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
 - (दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय), उदयपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4592/17/21]

- (5) (एक) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 - (दो) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 - (तीन) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4593/17/21]

- (7) (एक) अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4594/17/21]

- (9) (एक) चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 - (दो) चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 - (तीन) चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4595/17/21]

(11) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नागपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नागपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4596/17/21]

- (13) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4597/17/21]

(15) भेषज अधिनियम, 1948 की धारा 18 की उपधारा (4) के अंतर्गत भेषजी प्रेक्टिस (संशोधन) विनियम, 2021 जो दिनांक 5 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 14 – 148/2020 – पीसीआई में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4598/17/21]

(16) भारतीय परिचर्या वृत्ति परिषद अधिनियम, 1947 की धारा 16 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक – एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) भारतीय परिचर्या वृत्ति परिषद (मिडवाईफरी (एनपीएम) कार्यक्रम में परिचर्या वृत्तिक, शुद्धिपत्र) विनियम, 2020, जो 22 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 11-1/2019-आईएनसी में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय परिचर्या वृत्ति परिषद (नवजात शिशु विशेषज्ञता परिचर्या वृत्ति-आवासीय कार्यक्रम में पोस्ट बेसिक डिप्लोमा) विनियम, 2020, जो 22 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 11-1/2019-आईएनसी में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) हेमाटोलॉजी परिचर्या वृत्ति में पोस्ट बेसिक डिप्लोमा (कायिक कोशिका ट्रांसप्लांट सहित)-आवासीय कार्यक्रम, 2019, जो 5 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 11-1/2019-आईएनसी में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) भारतीय परिचर्या वृत्ति परिषद (परिचर्या वृत्ति कार्यक्रमों को उपयुक्तता प्रदान करने के लिए न्यूनतम पूर्वापेक्षाएं) विनियम, 2020, जो 12 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 11-1/2019-आईएनसी में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) बर्न्स और रिकंस्ट्रिक्टव शल्य चिकित्सा विशेषज्ञता परिचर्या वृत्ति में पोस्ट बेसिक डिप्लोमा आवासीय कार्यक्रम, 2019, जो 25 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 11-1/2019-आईएनसी में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) भारतीय परिचर्या वृत्ति परिषद (मिडवाईफरी (एनपीएम) कार्यक्रम में परिचर्या वृत्तिक) विनियम, 2020, जो 6 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 11-1/2019-आईएनसी में प्रकाशित हुए थे।

(17) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4599/17/21]

(18) औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत औषध (तीसरा संशोधन) नियम, 2021 जो दिनांक 12 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.258(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4600/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, डॉ. (प्रो.) महेन्द्र मुंजपरा जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

- (1) (एक) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4601/17/21]

(3) (एक) सेंट्रल अडोप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) सेंट्रल अडोप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4602/17/21]

(5) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 की धारा 56 के अंतर्गत राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी प्रेक्टिसनर्स की सूची जमा करना) नियम, 2021 जो 1 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 358(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4603/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, डॉ. एल. मुरुगन जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4604/17/21]

- (3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (4) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4605/17/21]

12.03 hrs

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

SECRETARY GENERAL: Sir, I have to report the following messages received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

(i) I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at sitting held on Thursday, the 5th August, 2021 adopted the following Motion regarding filling up of the casual vacancies in the Joint Committee on the Personal Data Protection Bill, 2019:-

MOTION

That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do appoint four Members to the Joint Committee on the Personal Data Protection Bill, 2019 in the vacancies caused by the retirement of Prof. Ram Gopal Yadav from Rajya Sabha and resignation of Shri Bhupender Yadav, Shri Rajeev Chandrasekhar and Shri Ashwini Vaishnaw and communicate to the Lok Sabha the names of the Members so appointed by the Rajya Sabha to the Joint Committee and resolves that Prof. Ram Gopal Yadav, Shri Rakesh Sinha, Dr. Vinay P. Sahasrabuddhe and Dr.

Sudhanshu Trivedi, be appointed to the said Joint Committee to fill the vacancies.' "

- (ii) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 5th August, 2021 agreed without any amendment to the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Bill, 2021 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 4th August, 2021."
- (iii) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 5th August, 2021 agreed without any amendment to the Essential Defence Services Bill, 2021 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 3rd August, 2021."

... (Interruptions)

12.04 hrs

LEAVE OF ABSENCE FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

माननीय सभापति: सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने 5 अगस्त, 2021 को सभा में प्रस्तुत अपने पाँचवें प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्यों को उनके नामों के सामने उल्लिखित अविध के लिए अनुपस्थिति की अनुमित प्रदान की जाए:-

1.	श्रीमती सोनिया गांधी	14.09.2020 से 23.09.2020;
		29.01.2021 से 13.02.2021;
		08.03.2021 से 25.03.2021;
		और 19.07.2021 से 30.07.2021
2.	श्री के. सुब्बारायण	19.07.2021 से 13.08.2021
3.	डॉ. फारूख अब्दुल्ला	19.07.2021 से 13.08.2021
4.	श्री अतुल कुमार उर्फ अतुल राय	19.07.2021 से 13.08.2021
	सिंह	
5.	श्री संजय शामराव धोत्रे	19.07.2021 से 13.08.2021
6.	डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक	19.07.2021 से 13.08.2021
7.	श्री शिशिर कुमार अधिकारी	19.07.2021 से 13.08.2021
8.	श्री राजबहादुर सिंह	19.07.2021 से 13.08.2021
9.	श्रीमती किरण खेर	20.03.2020 से 23.03.2020;
		14.09.2020 से 23.09.2020;

		29.01.2021 से 13.02.2021;
		08.03.2021 से 25.03.2021;
		और 19.07.2021 से 29.07.2021
10	श्री चौधरी मोहन जटुआ	14.09.2020 से 23.09.2020;
		29.01.2021 से 13.02.2021;
		08.03.2021 से 25.03.2021
		और 19.07.2021 से 02.08.2021

क्या सभा की यह इच्छा है कि समिति द्वारा अनुशंसित अनुमति प्रदान की जाए?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हाँ।

माननीय सभापति : अनुमति प्रदान की जाती है। सदस्यों को तदनुसार सूचित किया जाएगा।

... (<u>व्यवधान</u>)

12.04 ½ hrs

STANDING COMMITTEE ON PETROLEUM AND NATURAL GAS 7th and 8th Reports

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): महोदय, मैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

- (1) 'पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (2021-22)' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के पांचवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 7वां प्रतिवेदन ।
- (2) 'रिटेल आउटलेट तथा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप का आवंटन' विषय संबंधी 8वां प्रतिवेदन।

... (<u>व्यवधान</u>)

12.05 hrs

STANDING COMMITTEE ON URBAN DEVELOPMENT

8th and 9th Reports

श्री शंकर लालवानी (इन्दौर): सभापित महोदय, मैं शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति का 'पथ विक्रेता अधिनियम (जीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन अधिनियम, 2014) का कार्यान्वयन' संबंधी 8वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा 'आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगे (2021-22)' संबंधी 9वां की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।...(व्यवधान)

12.05 ½ hrs

STANDING COMMITTEE ON COAL AND STEEL

21st to 26th Reports

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): सभापति महोदय, मैं कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

- (1) इस्पात मंत्रालय से संबंधित 'इस्पात पीएसयू में सुरक्षा प्रबंध और प्रक्रियाएं' विषय के बारे में 21वां प्रतिवेदन।
- (2) कोयला मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में 16वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 22वां प्रतिवेदन।
- (3) खान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में 17वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 23वां प्रतिवेदन।
- (4) इस्पात मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में 18वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 24वां प्रतिवेदन।
- (5) कोयला मंत्रालय से संबंधित 'कोयला संरक्षण तथा पूरे देश में कोयले के परिवहन के लिए अवसंरचना का विकास' के बारे में 19वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 25वां प्रतिवेदन ।

(6) इस्पात मंत्रालय से संबंधित 'पट्टे पर दी गई लौह अयस्क खानों का विकास तथा क्षमता का इष्टतम उपयोग' के बारे में 20वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 26वां प्रतिवेदन । ...(व्यवधान)

12.06 hrs

STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT 23rd to 25th Reports

SHRIMATI RAMA DEVI (SHEOHAR): Sir, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Social Justice and Empowerment:-

- (1) Twenty-third Report on the subject of 'Assessment of Scheme for Implementation of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (SIPDA)' of the Ministry of Social Justice and Empowerment (Department of Empowerment of Persons with Disabilities).
- (2) Twenty-fourth Report on Action taken by the Government on the observations/recommendations contained in the 64th Report of the Committee on 'Assessment of the working of Scheme of Special Central Assistance to Scheduled Castes Sub-Plan (SCA to SCSP)' of the Ministry

of Social Justice and Empowerment (Department of Social Justice and Empowerment).

(3) Twenty-fifth Report on Action taken by the Government on the observations/recommendations contained in the 22nd Report of the Committee on 'Demands for Grants (2021-22)' of the Ministry of Minority Affairs.

... (Interruptions)

12.06 ½ hrs

STANDING COMMITTEE ON EDUCATION, WOMEN, CHILDREN, YOUTH AND SPORTS 327th to 330th Reports

SHRI ANUBHAV MOHANTY: (KENDRAPARA): Sir, I beg to lay the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports:

(1) 327th Report on Action Taken by the Government on the Recommendations of the Committee contained in its Three Hundred and Seventeenth Report on the Subject 'Preparation for Olympic Games, 2021' of the Department of Sports, Ministry of Youth Affairs and Sports.

328th Report on the Subject 'Plans for Bridging the Learning Gap caused (2) due to School Lockdown as well as Review of Online and Offline Instructions and Examinations and Plans for re-opening of Schools'.

- 329th (3) by the Report on Action Taken Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in its Three Hundred and Twenty-fourth Report on the Demands for Grants 2021-22 of the Department of Higher Education, Ministry of Education.
- 330th (4) Report on Action Taken by the Government the Observations/Recommendations of the Committee contained in its Three Hundred and Twenty-third Report on the Demands for Grants 2021-22 of the Department of School Education and Literacy, Ministry of Education.

... (Interruptions)

12.07 hrs

STATEMENT CORRECTING REPLY TO UNSTARRED QUESTION NO. 1398
DATED 28.7.2021 REGARDING CARBON EMISSION IN MINING OPERATION*

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, I rise to lay a statement correcting the reply given on 28.07.2021 to Unstarred Question No. 1398 by Shri Vinod Kumar Sonkar, MP and others regarding Carbon Emission in mining operation.

... (Interruptions)

⁻

^{*} Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 4568/17/21

\$14

Papers to be laid on the table of Lok Sabha / Rajya Sabha Authenticated

(PRALHAD JOSHI)
Minister of Parliamentary Affairs
Coal and Mines

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF COAL LOK SABHA UNSTARRED QUESTION NO. 1398 TO BE ANSWER ON 28.07.2021

STATEMENT TO BE LAID BY THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, COAL AND MINES CORRECTING THE ANSWER TO PART (a) OF THE UNSTARRED QUESTION NO.1398 GIVEN IN THE LOK SABHA ON THE 28.07.2021 REGARDING CARBON EMISSION IN MINING OPERATION.

I beg to correct the reply of part (a) given in the answer to Unstarred Question No.1398 in the LOK SABHA on the 28.07.2021 regarding carbon emission in mining operation as follows:

Part/(s) of the	For	Read
Question answered Part (a)	(Previous Reply) The total coal production marginally declined by 2.03% from 730.874 Million Tonnes (MT) in 2019-20 to 716.012 MT during the year 2020-21. Owing to Covid-19 pandemic, the subdued demand in power and non-power	Yes, sir. Owing to Covid-19 pandemic, the subdued demand it power and non power sectors had adversely affected coal dispatch from the coal companies. The pithead coal stock at Coal India Limited was 90.12 MT as
	coal dispatch from the coal companies. The pithead coal stock at Coal India Limited was	April, 2021 and 28.66 MT at the Thermal Power Plants. The coal production of the country goi regulated due to high levels of coal inventory and less demand from the consumers.

The inconvenience Caused is regretted.

515' Criginal Ruply

COVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF COAL
LOW SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1398
PO EE ANSWERED ON 28,07,2021

Carbon Emission in mining operation

1398. SHRI VINOD KUMAR SONKAR:
SHRI T.R.V.S. RAMESH:
SHRI MAGUNTA SREENIVASULU REDDY:
SHRI MAGUNTA SREENIVASULU REDDY:
SHRI MAGUNTA SREENIVASULU REDDY:
SHRI CHANDRA SEKHAR BELLANA:
DR. SANJEEV KUMAR SINGARI:
SHRI BHOLA SINGH:
DR. BEESETTI VENKATA SATYAVATHI:
SHRI KURUVA GORANTLA MADHAV:
SHRI SRIDHAR KOTAGIRI:
DR. SUKANTA MAJUMDAR:
SHRI RAJVEER SINGH (RAJU BHAIYA):
SHRI POCHA BRABMANANDA REDDY:
SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO:
SHRI M.V.V. SATYANARAYANA:
SHRI RAJA AMARESHWARA NAIK:
DR. JAYANTA KUMAR ROY:

Will the Minister of Coal be pleased to state:

(a) whether the total coal resulting in a production of production in India registered a marginal decline of 2.02 percent to 716.084 million tonnes during the 2020-21 fiscal year and if so, Government's reaction thereto;

(b) whether Coal India Ltd (CIL) decided to replace the huge fleet of Heavy Earth Moving Machines equipment on diesel consumption with Liquid Natural Gas (LNG) and if so, the details thereof;

- (c) the estimated financial savings to CIL through this move as well as the environmental impact on converting to LNG;
- (d) whether the Government has entered into any contract with GAIL in this regard and if so, the details thereof;
- (e) whether the CfL has also taken series of measures to offset carbon emission in mining operations in all its coal producing companies and if so, the details thereof;
- (f) whether the CIL envisaged creating a carbon offset of around 2.5 lakh tonnes in the next five years and if so, the details thereof
- (g) whether the C.L will be introducing around 1700 energy efficient motors for pumps in all its mining operations as a replacement of orthodox equipment; and
- (h) whether the CIL planned to add around 1500 E-Vehicles in all its mining areas for the next five years and if so, the details thereof?

~AMSWER-

The Minister of Parliamentary Affairs; Minister of Coal and Minister of Mines (Shri Pralhad Joshi):

(4). The total coal production marginally declined by 2.03% from 780.874 Million Toones (MT) in 2019-20 to 716.012 MT during the year 2020-21. Owing to "ovic-19 pandemic, the subclued demand in power and non-power sectors had adversely affected coal dispatch from the coal companies. The pithead coal stock at Coal India Limited was 99.13 MT as on 1st April, 2021 and 28.66 MT at the Thermal Power Plants. The coal production of the Country got regulated due to high levels of coal inventory and less demand from the consumers.

(b): LNG can be used in Mining Dump Truck as an alternate fuel by converting existing diesel dump trucks to Dual Fuel (Diesel - LNG) system by retrofitting LNG kits. CIL has initiated feasibility study for use of LNG in Dump trucks under CIL mining condition by retrofitting LNG kits in 02 nos. 100T dumpers at Lakhanpur Open Cast Project of Mahanadi Coalfields Limited, on Pilot Project basis with the association of GAIL (India) Limited and BEML Limited (both PSUs).

(c): The dual fuel system has potential to replace 30 - 50% of diesel with LNG which may go up to 70% depending on the engine characteristics. The actual figures may be worked out after the outcome of the Pilot Project.

(d): The proposal for signing of tripartite MOU between CIL, GAIL and BEML has been approved by the CIL Board in its 426th meeting held on 12th July, 2021.

(e): CIL and its Subsidiaries have taken up a series of measures to offset carbon emission in mining operations, which are mentioned as under:

Massive plantation & bio-reclamation:
 ClL & its subsidiaries have already planted approximately 94.19 Lakh saplings over about 3,873 Ha. inside mine lease area. The CO₂ offset value is about 1,55 lakh Tonnes per year.

Other measures are:

- i. Replacing conventional lights by LED lights;
- ii. Replacing conventional ACs and other appliances by Super-efficient ACs.

iii. Energy efficient pumps

- iv. Super-efficient fan
- v. Auto-timer in street lights,
- 3. CIL & its subsidiaries have installed 5.3 MW of solar energy.

 $(\mathfrak{h}: \mathrm{CIL}\ \mathrm{and}\ \mathrm{its}\ \mathrm{subsidiaries}\ \mathrm{have}\ \mathrm{planned}\ \mathrm{following}\ \mathrm{measures}\ \mathrm{for}\ \mathrm{carbon}\ \mathrm{offset}\ \mathrm{as}\ \mathrm{under}.$

CIL & its Subsidiaries have planned to carry out plantation over about 6,800
 Ha. in next 5 years (i.e. 2021-2026) which will offset CO₂ about 2.72 lakh
 Tonnes per year.

 CIL and its Subsidiaries have planned to install 3000 MW of solar energy in next 5 years (i.e. 2021-2026) which will also offset CO₂.

3. CIL and its Subsidiaries have planned for other energy efficient measures in next 5 years (i.e. 2021-2026) which includes replacing conventional light by LED lights, installing energy efficient ACs. Super fan, Efficient water heaters, Energy efficient motors for pumps, Auto-timer in street lights and to add E-Vehicles also.

(g): CIL have planned to replace 2,044 No. motors with energy efficient motors in next five years.

(h): CIL and its subsidiaries have planned to procure about 1,072 No. of E-Vehicles in next five years.

mefn

....

Cornelled Roll

517

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF COAL LOK SABHA UNSTARRED QUESTION NO.1398 TO BE ANSWERED ON 28.07.2021

Carbon Emission in mining operation

1398. SHRI VINOD KUMAR SONKAR:
SHRI T.R.V.S. RAMESH:
SHRI MAGUNTA SREENIVASULU REDDY:
SHRI ADALA PRABHAKARA REDDY:
SHRI CHANDRA SEHHAR BELLANA:
DR. SANJEEV KUMAR SINGARI:
SHRI BHOLA SINGH:
DR. BEESETTI VENKATA SATYAVATHI:
SHRI KURUVA GORANTLA MADHAV:
SHRI SRIDHAR KOTAGIRI:
DR. SUKANTA MAJUMDAR:
SHRI RAJVEER SINGH (RAJU BHAIYA):
SHRI POCHA BRAHMANANDA REDDY:
SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO:
SHRI M.V.V. SATYANARAYANA:
SHRI RAJA AMARESHWARA NAIK:
DR. JAYANTA KUMAR ROY:

Will the Minister of Coal be pleased to state:

(a) whether the total coal resulting in a production of production in India registered a marginal decline of 2.02 percent to 716.084 million tonnes during the 2020-23 fiscal year and if so, Government's reaction thereto;

[b] whether Coal India Ltd (CIL) decided to replace the huge fleet of Heavy Earth Moving Machines equipment on diesel consumption with Liquid Natural Gas (LNG) and if so, the details thereof;

(c) the estimated financial savings to CIL through this move as well as the environmental impact on converting to LNG;

(d) whether the Government has entered into any contract with GALL in this regard and if so, the details thereof;

(e) whether the CL has also taken series of measures to offset carbon emission in mining operations in all its coal producing companies and if so, the details thereof;

(i) whether the CIL envisaged creating a carbon offset of around 2.5 lakin tonnes in the next five years and if so, the details thereof

(g) whether the CIL will be introducing around 1700 energy efficient motors for pumps in all its mining operations as a replacement of orthodox equipment; and

(h) whether the CIL planned to add around 1500 E-Vehicles in all its mining areas for the next five years and if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, COAL AND MINES

(SHRI PRALHAD JOSHI)

> (a): Yes, sir. Owing to Covid-19 pandemic, the subdued demand in power and non-power sectors had adversely affected coal dispatch from the coal companies. The pithead coal stock at Coal India Limited was 99.13 MT as on 1st April, 2021 and 28.66 MT at the Thermal Power Plants. The coal production of the country got regulated due to high levels of coal inventory and less demand from the

> (b): LNG can be used in Mining Dump Truck as an alternate fuel by converting existing diesel dump trucks to Dual Fuel (Diesel - LNG) system by retrofitting LNG kits. CIL has initiated feasibility study for use of LNG in Dump trucks under CIL mining condition by retrofitting LNG kits in 02 nos. 100T dumpers at Lakhanpur Open Cast Project of Mahanadi Coalfields Limited, on Pilot Project basis with the association of GAIL (India) Limited and BEML Limited (both PSUs).

> (c): The dual fuel system has potential to replace 30 - 50% of diesel with LNG which may go up to 70% depending on the engine characteristics. The actual figures may be worked out after the outcome of the Pilot Project.

> (d): The proposal for signing of tripartite MOU between CIL, GAIL and BEML has been approved by the CIL Board in its 426th meeting held on 12th July, 2021.

> (e): CIL and its Subsidiarics have taken up a series of measures to offset carbon emission in mining operations, which are mentioned as under:

- Massive plantation & bio-reclamation : CIL & its subsidiaries have already planted approximately 94.19 Lakh saplings over about 3,873 Ha, inside mine lease area. The $\rm CO_2$ offset value is about 1.55 lakh Tonnes per year.
- Other measures are:
- Replacing conventional lights by LED lights;
 Replacing conventional ACs and other appliances by Super-efficient ACs.
 Energy efficient pumps
- iv. Super-efficient fan
- Auto-timer in street lights,
- 3. CIL & its subsidiaries have installed 5.3 MW of solar energy.

(f): CIL and its subsidiaries have planned following measures for carbon offset as under.

- 1. CIL & its Subsidiaries have planned to carry out plantation over about 6,800 Ha, in next 5 years (i.e. 2021-2026) which will offset CO2 about 2.72 lakh Tomnes per year.
- 2. CIL and its Subsidiaries have planned to install 3000 MW of solar energy in next 5 years (i.c. 2021-2026) which will also offset CO2.
- CIL and its Subsidiaries have planned for other energy efficient measures in next 5 years (i.e. 2021-2026) which includes replacing conventional light by LED lights, installing energy efficient ACs, Super fan, Efficient water heaters. Energy efficient motors for pumps, Auto-timer in street lights and to add E-Vehicles also.

(g): CIL have planned to replace 2,044 No. motors with energy efficient motors in next five years.

(h): CIL and its subsidiaries have planned to procure about 1,072 No. of E-Vehicles in next five years.

12.07 ½ hrs

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 120th and 122nd Reports of the Standing Committee on Health and Family Welfare on Demands for Grants (2020-2021) (Demand No. 4) pertaining to the Ministry of Ayush*

OF AYUSH (SHRI SARBANANDA SONOWAL): Sir, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 120th and 122nd Reports of the Standing Committee on Health and Family Welfare on Demands for Grants (2020-2021) (Demand No. 4) pertaining to the Ministry of Ayush.

... (Interruptions)

_

 $^{^{\}ast}$ Laid on the Table and also placed in Library See No. LT 4569/17/21

(ii) (a) Status of implementation of the recommendations contained in the 1st Report of the Standing Committee on Defence on Demands for Grants of the Ministry of Defence for the year 2019-20 on 'General Defence Budget, BRO, ICG, MES, DGDE, DPSUs, CSD, Welfare of Ex-servicemen, ECHS, Defence Pensions and Sainik Schools (demand nos. 18 & 21)' pertaining to the Ministry of Defence*

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (एडवोकेट अजय भट्ट): सभापित महोदय, मैं निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं:

रक्षा मंत्रालय से संबंधित 'सामान्य रक्षा बजट, बीआरओ, आईसीजी, एमईएस, डीजीडीई, डीपीएसयू, सीएसडी, भूतपूर्व सैनिक कल्याण, ईसीएचएस, रक्षा पेंशन और सैनिक स्कूल (मांग सं. 18 और 21)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2019-20 की अनुदानों की मांगों के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

_

^{*} Laid on the Table and also placed in Library See No. LT 4570/17/21

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 3rd Report of the Standing Committee on Defence on Demands for Grants of the Ministry of Defence for the year 2019-20 on 'Capital Outlay on Defence Services, Procurement Policy, Defence Planning and Married Accommodation Project (demand no. 20)' pertaining to the Ministry of Defence*

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (एडवोकेट अजय भट्ट): सभापित महोदय, मैं निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं:

1. रक्षा मंत्रालय से संबंधित 'रक्षा सेवाओं संबंधी पूंजीगत परिव्यय, अधिप्राप्ति नीति, रक्षा आयोजना और विवाहित आवास परियोजना (मांग सं. 20)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2019-20 की अनुदानों की मांगों के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

 $^{^*}$ Laid on the Table and also placed in Library See No. LT 4571/17/21

(c) Status of implementation of the recommendations in the Report of the Standing Committee on Defence on **Demands for Grants** of the Ministry of Defence for the year 2020-21 'Capital Outlay Defence on Services, **Procurement** on **Planning** Policy, Defence and Married Accommodation **Project** (demand no. 20)' pertaining to the Ministry of Defence*

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (एडवोकेट अजय भट्ट): सभापित महोदय, मैं निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं:

रक्षा मंत्रालय से संबंधित 'रक्षा सेवाओं संबंधी पूंजीगत परिव्यय, अधिप्राप्ति नीति, रक्षा आयोजना और विवाहित आवास परियोजना (मांग सं. 20)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2020-21 की अनुदानों की मांगों के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के सातवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

... (Interruptions)

_

 $^{^*}$ Laid on the Table and also placed in Library See No. LT 4572/17/21

12.08 ½ hrs

(iii) Status of implementation of the recommendations/observations contained in the 25th Report of the Standing Committee on Information Technology on Demands for Grants (2021-2022) pertaining to the Ministry of Information and Broadcasting*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTINIG (DR. L. MURUGAN): Sir, I beg to to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations/observations contained in the 25th Report of the Standing Committee on Information Technology on Demands for Grants (2021-2022) pertaining to the Ministry of Information and Broadcasting.

 st Laid on the Table and also placed in Library See No. LT 4573/17/21

12.09 hrs

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRI ARJUN

RAM MEGHWAL): Sir, I rise to announce that Government Business for the remaining part of the Sixth Session of Seventeenth Lok Sabha, may consist of:

- 1. Consideration of any items of Government Business carried over from today's order paper:- [It contains:- Consideration and passing of (i) the Taxation Laws (Amendment) Bill, 2021 and (ii) the Central Universities (Amendment) Bill, 2021]
- Consideration and passing of the following Bills, as passed by Rajya Sabha:-
 - (i) the Limited Liability Partnership (Amendment) Bill, 2021;
 - (ii) the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (Amendment) Bill, 2021; and
 - (iii) the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill,2021.

3. Consideration and passing of the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Bill, 2020. ... (Interruptions)

- 4. Consideration and passing of the following Bills, after their introduction :-
 - ... (Interruptions)
 - (i) The National Commission for Homoeopathy (Amendment) Bill, 2021.... (Interruptions)
 - (ii) The National Commission for Indian System of Medicine (Amendment) Bill, 2021. ... (Interruptions)
 - (iii) The Constitution (One Hundred and Twenty Seventh) Amendment Bill, 2021. ... (*Interruptions*)

12.11 hrs

MATTERS UNDER RULE 377*

माननीय सभापित: माननीय सदस्यगण, जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमित प्रदान की गई है, वे अपने मामलों के अनुमोदित पाठ को 20 मिनट के अन्दर व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें।

... (व्यवधान)

_

^{*} Treated as laid on the Table.

(i) Need to frame provisions to tackle various objections received after approval of development projects

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): देश के समग्र विकास हेतु समस्त औपचारिकताएँ पूरी करते हुए एक लंबी प्रक्रिया के बाद विकास संबंधी परियोजना को अंतिम रूप दिया जाता है। लेकिन कुछेक मामलों में यह देखा गया है कि जैसे ही स्वीकृत की गई विकास संबंधी परियोजना को प्रारंभ किया जाता है तो तरह-तरह की आपत्तियां सामने आने की वजह से परियोजना का कार्य प्रारंभ ही नहीं हो पाता है, जिससे देश का विकास अवरुद्ध होता है।

यह विदित है कि सरकार किसी भी विकास संबंधी परियोजना सड़क, पुल, बांध, चिकित्सालय, स्कूल, पार्क-उद्यान इत्यादि को अंतिम रूप दिए जाने से पूर्व भू-स्वामियों, पर्यावरण विशेषज्ञों, ग्रीन ट्रिब्यूनल्स, निगमों, सरकारी संस्थाओं आदि से आपित्त स्वीकार करके उनके निष्पादन के पश्चात ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अंतिम रूप देकर क्रियान्वयन की प्रक्रिया प्रारंभ करती है।

अतः इस संबंध में, अनुरोध है कि केन्द्र सरकार द्वारा किसी भी विकास संबंधी परियोजना की रिपोर्ट स्वीकृत किए जाने के पश्चात किसी की भी पुनः आपत्ति स्वीकार न किए जाने और इससे सम्बद्ध किसी भी प्रकरण को न्यायालय में चुनौती न दिए जाने से संबंधित प्रावधान किए जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

(ii) Need to establish an additional Kendriya Vidyalaya in Sitapur Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर): मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र सीतापुर (उ. प्र.) की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। सीतापुर जनपद उत्तर प्रदेश का आबादी के हिसाब से बड़ा जिला है, जहां विधानसभा की 9 सीटें हैं और 4 सांसदों का क्षेत्र भी लगता है। आपको यह भी अवगत कराना है कि मेरे जनपद की आबादी, गरीबी तथा अशिक्षा को ध्यान मे रखते हुए केंद्र सरकार ने दो नवोदय विद्यालय खोल रखे हैं, परन्तु जनपद मे केन्द्रीय विद्यालय एक ही स्थापित है। ऐसी परिस्थित में मैं सरकार से माँग करता हूँ कि जनहित में जनपद की आबादी एवं अनुसूचित जाति की बाहुल्यता को दृष्टिगत रखते हुए एक अतिरिक्त केन्द्रीय विद्यालय खोलने हेतु निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें। धन्यवाद।

(iii) Need to include people belonging to 'Bhogta' community in the list of Scheduled Tribes

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और असम में खरवार जनजाति की मुख्य उपजाति "भोगता समुदाय" बहुत बड़ी संख्या में निवास करती है। 10.08.1950 में भोगता को अलग जाति बनाकर अनुसूचित जातियों की श्रेणी में कम सं. 3 पर सूचीबद्ध किया गया। लगातार 70 वर्षों से अपनी मूल पहचान से वंचित भोगता समाज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता आ रहा है। भोगता समाज की सामाजिक व आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है।

सामाजिक संगठन "खरवार भोगता समाज विकास संघ" के प्रयासों से खरवार जनजाति की उपजातियों में संशोधन के लिए विस्तृत अध्ययन के पश्चात झारखण्ड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, रांची ने पत्रांक संख्या - 473 दिनांक 05.10.2004 द्वारा कल्याण विभाग, झारखंड सरकार को प्रेषित किया जिसे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, GOJ ने पत्रांक 2098, दिनांक 02.03.2012 के द्वारा जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया।

एनसीएसटी के अनुशंसा प.सं. 17/01 इन्क्लू जन/2014/आ.यू. -03, दिनांक 05.12.2014 के आलोक में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संविधान (SC& ST) संशोधन विधेयक 2016, दिनांक 14 दिसम्बर 2016 को लोक सभा में Introdued किया गया था।

पुन: 17वीं लोक सभा के लिए (SC& ST) संशोधन विधेयक 2020 प्रस्तावित है। प्रस्तावित विधेयक में खरवार की मुख्य उपजाति भोगता सहित सभी उपजातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाये तथा सरकार जल्द से जल्द इन प्रस्तावित विधेयक को पारित करें।

06.08.2021

(iv) Regarding revamping the scope of CSR policy

SUSHRI DIYA KUMARI (RAJSAMAND): I would like to use this opportunity to raise the issue of revamping the scope of Corporate Social Responsibility as we have it today. In my constituency, Rajasamand, Rajasthan there are many industries like Hindustan Zinc and Nuvoco Cement that have been using the local resources for years but have not contributed adequately towards the upliftment of the region.

Therefore, it should not be left entirely to the companies to decide the area of their CSR spending. There should be stricter CSR policies that require companies to spend a certain percentage of their funds for regional infrastructural development, such as building schools, roads, hospitals, etc.

Secondly, private sector companies should be involved in maintenance of monuments under the 'Adopt a Heritage' scheme. There should also be clear guidelines to hire 75% of the staff locally.

These policy changes will immensely benefit the socio-economic growth of various regions of the country.

06.08.2021

(v) Regarding rail connectivity in Balurghat Parliamentary Constituency

DR. SUKANTA MAJUMDAR (BALURGHAT): Youth of Balurghat are educationally/economically poor and the area lacking in regular and consistent rail transport system for their education, employment and business needs. During the Vajpayee Government in 2010-11, a project of Rail connectivity between Kaliaganj to Buniadpur was announced and approved. Since then, many years have passed but no concrete railway line development has taken place. Even land acquisition couldn't be completed due to paucity of funds. Poor people are solely dependent on railway transport system, badly affecting even today all the aspects of their education/livelihood and social bonding.

Therefore, I request for allocation of separate funds for the development of projects of Rail connectivity between Hili to Balurghat and Buniadpur to Kaliaganj and issue directions to expedite the rail line development under both the projects so that by the end of 2021, millions of citizens of Balurghat may get the dream of travel by the rail fulfilled.

(vi) Need to utlilise vacant houses of Income Tax Department lying in dilapidated condition in Shastrinagar, Meerut

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): मेरठ के शास्त्रीनगर स्थित एल ब्लॉक में-62 मकान खाली पड़े हुए हैं जो आयकर विभाग की संपत्ति हैं। प्रत्येक मकान 104 वर्ग मीटर में बना हुआ है तथा खराब हालत होने के बावजूद एक मकान का बाजार मूल्य लगभग 40 लाख रूपये है। आश्चर्य की बात है कि उपरोक्त मकानों में आयकर विभाग का कोई भी अधिकारी कर्मचारी गत-25-30 वर्षों से नहीं रह रहा है। उक्त मकानों की हालत अत्यंत जर्जर है। इनके दरवाजे, खिड़िकयाँ व जाली चोर उखाडकर ले गए हैं तथा इनमें घास – फूस व पौधे उगे हुए हैं। ये मकान शराब पीना, नशा करना, जुआ खेलना तथा अन्य अनैतिक कार्यों का अड्डा बन गए हैं। महानगरीय सीमा में विद्यमान यह बहुमूल्य परिसंपत्ति विभाग की उपेक्षा एवं लापरवाही के कारण बेकार पड़ी हुई है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस प्रकार की परिसंपत्तियों की समुचित व्यवस्था / उपयोग किए जाने की व्यवस्था करने की कृपा करें।

(vii) Regarding service conditions of causal and daily workers working under Archaeological Survey of India

DR. SUJAY VIKHE PATIL (AHMEDNAGAR): 850 casual and daily workers under 1/30 status are currently employed across India who have been working tirelessly for protection and conservation of our rich cultural heritage under the jurisdiction of Archaeological Survey of India. As per orders of DoPT in the year 1998, these workers are entitled to 1/30 pay at the relevant pay scale along with Dearness Allowance. In view of their contribution and servisces for more than 10 years, the need of the hour is to regularize their services and extend other government benefits such as GPF/NPS. Hence, I request the Government to kindly consider their request for regularization of their services which will facilitate their development and grant them government benefits for their welfare. In addition to this. I also request the Government to amend the relevant rules and provide a one-time opportunity for regularization of these workers against the existing 1700 vacancies for MTS workers under ASI who are recruited through SSC.

(viii) Regarding unhygienic conditions created by Hatcheries in Mahasamund district, Chhattisgarh

श्री चुन्नीलाल साहू (महासमुन्द): महासमुंद जिले के बागबाहरा के ग्रामीण इलाकों में मुर्गी पालन के नाम से बड़े – बड़े हेचरी उत्पादन केन्द्र खोले जा रहे हैं। इन हेचरी केन्द्रों में सड़े अंडों व मृत चूजों को बाहर में ऐसे ही फेंका जा रहा है, जिससे समीपवर्ती गांव में दुर्गंध फैल रही है तथा मिक्खयां पैदा हो रही हैं जिससे ग्रामीण जनता परेशान है तथा गाँव मे अनेकों संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका बनी हुई है। जिससे जन जीवन और पर्यावरण को खतरा है।

ग्रामीण जनता को अपने छोटे बच्चों को मिक्खयों से बचाने के लिए मच्छरदानियों की जाली से हमेशा ढककर रखना पड़ रहा है। बच्चे मिक्खयों के कारण अपने हाथों से भोजन भी नहीं कर पा रहे है। ग्रामीणों मे भारी रोष व्याप्त है।

इस प्रकार महासमुंद जिले के ग्रामीण क्षेत्रों मे खोले जा रहे हेचरी निर्माण केन्द्रों को गाँव की सीमा से दूरी पर खोलने की अनुमति दी जाए तथा खराब अंडे और चूजों को जमीन के अंदर गड़ाया जाए, ताकि आम जनता के जन जीवन को नुकसान होने से बचाया जा सके।

(ix) Need to reopen Bheemapar level crossing in Siddharthnagar district, Uttar Pradesh and also construct an underbridge near the level crossing

श्री जगदिन्बका पाल (डुमिरेयागंज): हमारे संसदीय क्षेत्र डुमिरेयागंज, जनपद सिद्धार्थनगर के भीमापार रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर ओवर ब्रिज का निर्माण होने के बाद रेलवे क्रासिंग को बंद कर दिया गया। जिसके कारण दर्जनों गांवों का आवागमन बंद हो गया है उनको कई किलोमीटर घूमकर जाना पड़ रहा है इस समस्या को लेकर सैकडो लोग धरने पर बैठ रहे है। ग्रामीणों को NH 233 के ओवर ब्रिज का प्रयोग करना पड़ता है और इसके परिणामस्वरूप लोगों को कई परिवहन और यातायात समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा, नजदीकी डॉक्टर और अन्य सार्वजिक सेवाओं तक पहुंच पाना लोगों के लिए एक समस्या बन गई है। मैं भारत सरकार से इस गंभीर समस्या को देखते हुए रेलवे क्रॉसिंग को फिर से खोलने और साथ ही साथ यहाँ पर एक रेलवे अंडर ब्रिज (RUB) बनाने की मांग करता हूँ जिससे यहाँ लोगों की समस्याओं का एक स्थायी निराकरण किया जा सके।

(x) Regarding setting up of a solar plant in Kannauj Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

श्री सुब्रत पाठक (कन्नौज): मेरी लोकसभा कन्नौज (उत्तर प्रदेश) में आज भी हजारों एकड़ बंजर भूमि है। हम सभी जानते हैं कि बंजर भूमि का देशहित में कोई उपयोग प्रायः नहीं होता है, पर खाली पड़ी इस जमीन पर यदि हमारी सरकार सोलर प्लांट का निर्माण एवं स्थापना करवा सके या किसी निजी क्षेत्र की कंपनी को सोलर प्लांट लगाने के लिए अधिकृत कर दे तो इस जमीन का ग्रीन एनर्जी के लिए शानदार सद्पयोग हो सकता है। मसलन एक बड़े क्षेत्र को बिजली आपूर्ति की जा सकती है।

आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जिस क्षेत्र में इस प्लांट की स्थापना की बात कर रहा हूँ, उस क्षेत्र में बिजली का संकट भी अधिक है, कम वोल्टेज और सुचारू रूप से बिजली आपूर्ति नहीं हो पाती है। जिससे क्षेत्र की जनता व्यथित है। उक्त प्लांट लगने से एक लाभ यह भी है कि क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हो सकेगा। जिससे क्षेत्र की बेरोजगारी की समस्या भी हल हो जाएगी। मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में उपलब्ध बंजर भूमि की विस्तृत जानकारी पटल पर साझा कर रहा हूँ। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस भूमि के सदुपयोग हेतु इस कार्य को जल्द स्वीकृति प्रदान करे।

(xi) Need to construct Panipat - Meerut railway line

श्री संजय भाटिया (करनाल): मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान पानीपत-मेरठ रेलवे लाइन की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। इस रेलवे लाइन का प्रस्ताव 30 वर्षों से निलंबित है परंतु इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। भारत की सबसे बड़ी छावनी में से एक छावनी मेरठ केंट है। हमारे सेना के जवानों को मेरठ केंट से अंबाला केंट, पठानकोट केंट व जम्मू कश्मीर जाने के लिए दिल्ली होकर जाना पड़ता है जिसे उन्हें अनेक प्रकार की असुविधा का सामना करना पड़ता है।

पानीपत-कुरुक्षेत्र-करनाल के लोगों को हरिद्वार जाने के लिए दिल्ली या अंबाला जाना पड़ता है। मज़बूरी में लोग ओवर लोड बसो व रेल में सफ़र करते है। पानीपत-मेरठ रेलवे लाइन का कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जाए।

(xii) Need to protect the interests of tribal people evicted from their natural dwellings in Dausa Parliamentary Constituency, Rajasthan

श्रीमती जसकौर मीना (दौसा): पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाले जनजाति बन्धुओं को एवं अन्य सभी को आवासीय पट्टे दिये जाने आवश्यक है। वन क्षेत्रों में सदियों से निवास करने वाले परिवारों को वन भूमि क्षेत्र से बाहर किया जाना अन्याय है। मेरे संसदीय क्षेत्र दौसा (राजस्थान) में थानागाजी व सिकराय, लालसोट विधान सभाओं के पहाड़ी व वन क्षेत्र में ऐसा अन्याय हो रहा है। मैं इस व्यवस्था में हस्तक्षेप करने के साथ यह भी ध्यान में लाना चाहती हूं कि कथित रूप से बड़े माफिया लोग थानागाजी क्षेत्र में बड़ी-बड़ी भूमि व जंगलों पर अपना कब्जा बना रहे हैं। थानागाजी में बसे लोगों पर कथित रूप से अत्याचार भी कर रहे हैं। कथित रूप से बड़े-बड़े होटल व फार्म हाऊस अवैध बन रहे हैं।

अतः इन पर कार्यवाही हो और स्थानीय लोगों का संरक्षण किया जाए।

(xiii) Need to ensure safety of people of North East States in Delhi

श्रीमती क्वीन ओझा (गौहाटी): पूर्वोत्तर राज्यों से शिक्षा प्राप्त करने, नौकरी हेतु आने वाले छात्र-छात्राए व नौकरी पेशा लोगों को दिल्ली में उनकी आंखों की बनावट के कारण टिप्पणी या नस्लीय टिप्पणी कर परेशान किया जाता रहा है। अभी हाल ही में अरूणांचल प्रदेश व दार्जिलंग से आई बच्चियों के साथ बलात्कार की धटना भी सामने आई है। मैं पूर्वोत्तर राज्यों के जनमानस के साथ गम्भीर आपतिजनक टिप्पणी व नस्लीय टिप्पणी करने वालों के प्रति पुरजोर विरोध करती हूँ।

अतः मेरा माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह है कि शीध्र ही उपरोक्त गम्भीर विषय का संज्ञान लेकर पूर्वोत्तर राज्यों से दिल्ली में आने वाले सभी छात्र, छात्राए व नौकरी पेशा लोगों को न्याय व सुरक्षा प्रदान कराने का कष्ट करें जिससे वह दिल्ली में अपनी शिक्षा व रोजगार सरलता से प्राप्त कर सकें।

(xiv) Need to set up a washing line and solar energy panel at railway station in Hanumangarh, Rajasthan

श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर): मेरे संसदीय क्षेत्र गंगानगर (राजस्थान) के अंतर्गत जिला हनुमानगढ़ के रेलवे स्टेशन पर एक वाशिंग लाइन का निर्माण और सोलर ऊर्जा पैनल स्थापित किये जाने की बहुत ही आवश्यकता है। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय होने के साथ साथ रेलवे के हब के रूप में विकसित हो सकता है, जहाँ से बहुत सी एक्सप्रेस और पैसेंजर गाड़ियों का संचालन होता है। भिटंडा जंक्शन जो कि हनुमानगढ़ जंक्शन से लगभग 80 कि.मी. की दूरी पर स्थित है, में भी वाशिंग लाइन हेतु साध्य नहीं है और न ही पर्याप्त जगह उपलब्ध है, परन्तु हनुमानगढ़ में वाशिंग लाइन हेतु पर्याप्त स्थान भी उपलब्ध है और इसकी साध्यता भी है। हनुमानगढ़ में कुल 300 एकड़ जमीन मौजूद है, जोकि वाशिंग लाइन के लिए पर्याप्त है, साथ ही सोलर पैनल स्थापित करने से यहाँ सौर ऊर्जा को भी बढावा मिलेगा और यह रेलवे स्टेशन एक ग्रीन रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित हो सकेगा।

(xv) Need to start construction of Medical College at Bhawanipatna in Kalahandi district, Odisha

श्री बसंत कुमार पंडा (कालाहाण्डी): मेरा लोकसभा क्षेत्र कालाहांडी है, जो एक आकांक्षी जिला भी है। जहाँ मेडिकल कॉलेज की अति आवश्यकता है। दिनांक 17 मार्च 2020 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जी द्वारा कालाहांडी जिला मुख्यालय भवानीपटना में एक नया मेडिकल कॉलेज अनुमोदित किया गया है। जिसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहूँगा। कालाहांडी जिला बहुत गरीब, आदिवासी व पिछड़ा क्षेत्र है। आकांक्षी जिले के नाते यहाँ विकास का कार्य बहुत तेजी से किये जाने की जरुरत है।

मैं माननीय मंत्री जी से सादर निवेदन करता हूँ कि मेडिकल कॉलेज का जल्द से जल्द शुभारम्भ किया जाए ताकि क्षेत्रवासियों को लाभ मिल सकें।

(xvi) Regarding issue of Human Animal conflict in Idukki Parliamentary Constituency

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): I would like to raise an urgent matter of public importance on human-animal conflict in my constituency, Idukki. My constituency has large swathes of land that lie close to the forest region. The forests are replete with wild animals, who routinely forage into the human habitations. Because of this, lakhs of hectares of agricultural crops, livestock and human lives are being lost.

In the last ten years, around 40 precious human lives were lost in the human-animal conflict. This has caused serious distress to the already vulnerable population which inhabit these regions. Urgent intervention is required to create a lasting solution that incorporates learnings from global research. Relevant provisions from Wildlife Protection Act and other Acts must be invoked immediately. I urge the Government to give attention to this URGENT matter and act swiftly to protect the life and livelihood of our people.

12.12 hrs

TAXATION LAWS (AMENDMENT) BILL, 2021

माननीय सभापति : आइटम नम्बर 24, कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2021.

माननीय मंत्री जी।

... (<u>व्यवधान</u>)

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS

(SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I rise to move*:

"That the Bill further to amend the Income-tax Act, 1961 and the Finance Act, 2012, be taken into consideration."

... (Interruptions)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, क्या आप इस बिल पर कुछ बोलना चाहती हैं?

... (<u>व्यवधान</u>)

श्रीमती निर्मला सीतारमण : जी हाँ सर ।... (व्यवधान) धन्यवाद सर ।... (व्यवधान)

Sir, as opening remarks, I would like to say a few words on the reason why we are coming up with this Bill. ... (*Interruptions*)

_

^{*} Moved with the recommendation of the President.

The issue of levying income tax on income derived from the transfer of Indian assets through the transfer of shares of a foreign company was a subject matter of prolonged litigation. ... (Interruptions) In 2012, the Supreme Court ruled that such income is not taxable under the existing provisions of the Income Tax Act. ... (Interruptions) Consequently, the Finance Act of 2012 amended the Income Tax Act, 1961 with retrospective effect to clarify that such income is taxable. ... (Interruptions)

The Finance Act, 2012 also provided that the demand raised for this income shall be valid even if the said demand has been struck off by the courts. ... (*Interruptions*) So, what has happened is that this retrospective tax was brought in as a clarificatory amendment. ... (*Interruptions*) However, there has been quite a lot of disagreement for this measure and even as we were in the Opposition, we had very clearly raised this objection saying that this is bad in law and also bad for investor sentiments. ... (*Interruptions*)

After coming to power in 2014 led by hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, the Finance Minister, late Shri Arun Jaitley, in 2014, clearly made a commitment here in the House stating that: "We do not believe in applying the law in retrospect and we would certainly form a High-Level Committee, which will look into all such cases". ... (*Interruptions*) I am happy to say that between 2014 and till today the High-Level Committee has dealt with this matter and we have

not had one claim based on the amendment made in 2012. ... (*Interruptions*) However, 17 such cases were there prior to 2012 and for which it was retrospectively applied. Out of them, two went to the court, which were stayed and the claims could not be pursued further. ... (*Interruptions*) But two other cases in which the Government of India actually could not win the case and therefore the arbitral awards were announced. ... (*Interruptions*)

Therefore, we have waited, as was committed by the then Finance Minister, late Shri Arun Jaitley that in-principle, we do not believe in this. However, we could not act on it even at that time in 2014 because there were two cases going on, and the then Finance Minister, late Shri Jaitley had very clearly said that: "We will wait for them to reach the logical conclusion", and the logical conclusion was reached in September, 2020 in one case and in December, 2020 in the other cases. ... (Interruptions) Those cases were studied in detail by the Government and the Law Department, and consultations were held with the AG. ... (Interruptions) But as the Budget Session was also contracted, we could not take up more activities at that time. ... (Interruptions)

We have come to the next available Session, which is the Monsoon Session, which is now on, to keep up the word given by the former Finance Minister, Shri Arun Jaitley. Under the leadership of Prime Minister Modi, we are keeping up the commitment of BJP that we don't believe in retrospective

application of tax. We are fulfilling that word, हमने इस गरिमामय सदन में जो वायदा किया था, उसे पूरा करने के लिए आज इस कानून में अमेंडमेंट ला रहे हैं। सदन इस पर चर्चा करे और इस अमेंडमेंट का समर्थन करते हुए इसे पारित करे।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि आयकर अधिनियम, 1961 तथा वित्त अधिनियम, 2012 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति : अधीर रंजन चौधरी जी, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति : अधीर रंजन जी, please limit your submission to the Bill only.

... (व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, with all humility at my command, I must say that the NDA parties much-hyped terror law has been passed at the behest or the direction of the Supreme Court or at the behest of the international arbitration. But the same Supreme Court has yesterday told that.... (Interruptions)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

... (Interruptions)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (<u>व्यवधान</u>)

12.17 hrs

CENTRAL UNIVERSITIES (AMENDMENT) BILL, 2021

माननीय सभापति : आइटम नम्बर-25, माननीय मंत्री जी।

... (व्यवधान)

शिक्षा मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान): सभापित महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, यह प्रस्ताव केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मौजूदा केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में संशोधन करने के विषय में है।... (व्यवधान) जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के निर्माण के परिणामस्वरूप यह परिवर्तन अपेक्षित है। पिछले साल 15 अगस्त के दिन माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश के सामने यह जिम्मेदारी ली थी कि हमें लद्दाख में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करनी है।... (व्यवधान) मैं सौभाग्यशाली हूं कि आपकी अनुमित से मुझे इस पवित्र काम को करने का मौका मिला और इस पवित्र सदन में हम इसे प्रस्तावित करते हैं। यह सुखद संयोग है कि धारा 370 हटने के लगभग दो साल पूरे हो रहे हैं और धारा 370 के कारण जो बंधन था, अब वह खत्म हो गया है।... (व्यवधान) इन प्रदेशों का भारत की मुख्य प्रक्रिया में विलय करना, यह केवल हमारे लिए कोई नारा नहीं था, बल्कि एक जिम्मेदारी थी।... (व्यवधान)

^{*} Moved with the recommendation of the President.

उसी के तहत लद्दाख को यूनियन टेरिट्री बनाया गया और एक अलग प्रशासनिक इकाई बनाया गया। ... (व्यवधान) इसको न केवल एक प्रशासनिक इकाई बनाया गया, बल्कि इसको उच्च शिक्षा में और महत्व मिले, भारत सरकार इसके लिए एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय प्रस्तावित करती है, जिस पर आने वाले दिनों में 750 करोड़ रुपये खर्च होंगे। ... (व्यवधान) लगभग 4 हजार विद्यार्थी लद्वाख से बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं। ... (व्यवधान) इस केन्द्रीय विश्वविद्यालय के माध्यम से लद्दाख के ढाई हजार विद्यार्थियों को पढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी। आज के दिन ही जम्मू-कश्मीर से धारा-370 हटाने संबंधी विधेयक लोक सभा में पारित हुआ था। ... (व्यवधान) इस विश्वविद्यालय का गठन करने के लिए लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, लेह और कारगिल की ओर से यह विचार आया था। ... (व्यवधान) स्थानीय प्रशासन द्वारा 110 एकड़ की जमीन भी उपलब्ध करवाई गई है। ... (व्यवधान) इस विश्वविद्यालय का गठन होने के उपरान्त लद्दाख, लेह और कारगिल की विशेषता को जानने का इस देश के अन्य विद्यार्थियों को, एक भावनात्मक इंटीग्रेशन का, मौका मिलेगा। ... (व्यवधान) जम्मू और कश्मीर संघ-शासित प्रदेश में पहले से ही, जम्मू में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा श्रीनगर में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय था। ... (व्यवधान) आज के इस निर्णय के उपरान्त लद्वाख, कारगिल या लेह में सिंध् केन्द्रीय विश्वविद्यालय के नाम पर एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित होगा। ... (व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं यह विधेयक आपके सामने विचार के लिए इसीलिए लेकर आया हूं तािक इस प्रमुख नीति को यह पवित्र सदन अनुमित दे और लद्दाख की आकांक्षा को पूरा होने का सौभाग्य मिले, धन्यवाद। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री अधीर रंजन चौधरी, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: इस सत्र की शुरूआत के दिन से ही हम लोग किसान विरोधी तीन ... * कानूनों को रद्ध करने की मांग कर रहे हैं। ... (व्यवधान) शुरूआत के दिनों से ही हम महंगाई और तेल कीमतों में हुई बेतहाशा वृद्धि का विरोध कर रहे हैं और इस संबंध में चर्चा करना चाह रहे हैं। ... (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अधीर रंजन जी, हम भी शुरू से ही चर्चा करना चाह रहे हैं, लेकिन आप लोग ही चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

... (<u>व्यवधान</u>)

_

^{*} Not recorded

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पुरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

... (<u>व्यवधान</u>)

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 9 अगस्त, 2021 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थिगत की जाती है।

12.24 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, August 9, 2021/Sravana 18,1943 (Saka).

IN	TE	:RI	NET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

http://www.parliamentofindia.nic.in http://www.loksabha.nic.in

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Lok Sabha T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Sixteenth Edition)